03/03/2020 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत O9 R9 CPC पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय हाजा में अपील उनवानी भजनलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्रा.पं. नलहेरा तहसील नदबई बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर विचाराधीन थी जिसमें तारीख पेशी दिनांक 19-06-2019 को न्यायालय में हाजिर हुआ किन्तु प्रार्थी का स्वास्थ्य अचानक खराब होने से वह अपने अभिभाषक को बिना बताए ही घर पर चला गया। अभिभाषक के बिना बताए ही घर पर चला गया। न्यायालय में आने पर ज्ञात दिनांक 06-11-19 को न्यायालय में आने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अपील दिनांक 19-06-2019 को ही अदम पैरवी में खारिज की जा चुकी है। अपीलान्ट अपनी अपील की पैरवी काफी गम्भीरता से करता आ रहा है। अगर अपील को पुनः रेस्टोर नहीं किया गया तो अपील करने का मकसद समाप्त हो जायेगा। अपीलान्ट को काफी क्षति होगी तथा वह अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जावेगा। प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः नम्बर पर लेने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर किया। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा कई बार आवाज लगवाने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस कारण दिनांक 19-06-2019 को विचाराधीन अपील अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जो उसके प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन करता हो। अपील दिनांक 19-06-2019 को खारिज हुई है, जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र भी मियाद बाहर पेश किया गया है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनः नम्बर पर लिए जाने अपील खारिज किया जाता है।

(signature)

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.03.19 14:47:55 IST
Reason: SelfAttested